

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1281/2025

अनिल सिंह

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राम सेवक, दीक्षा

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम सेवक, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कुशवाहा और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा ग्राम- बल्ली किरपालपुर, सोनौरागौपुर, तहसील- बीकापुर, जिला फैजाबाद/अयोध्या में स्थित तालाब भूमि गाटा संख्या 805 ख, क्षेत्रफल 0.0820 हेक्टेयर, मेले के लिए आरक्षित भूमि गाटा संख्या 806, क्षेत्रफल 0.2020 हेक्टेयर, एवं देवस्थान भूमि गाटा संख्या 807, क्षेत्रफल 0.0130 हेक्टेयर पर किये गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी करने की मांग की है।
- लिखित निर्देशों के आधार पर, ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि भूमि गाटा संख्या 805 क एवं 805 ख मिनजुमला संख्या है, और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30 (2) के अंतर्गत विभाजन और सीमांकन की कार्यवाही पहले ही संस्थित की जा चुकी है। भूमि गाटा संख्या 806 और 807 पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. ग्राम सभा के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा लिखित निर्देशों के आधार पर किये गए कथन के दृष्टिगत, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि ग्राम- बल्ली किरपालपुर, सोनौरागापुर, तहसील- बीकापुर, जिला- फैजाबाद/अयोध्या में स्थित भूमि गाटा संख्या 805 क और 805 ख के विभाजन और सीमांकन के लिए सस्थित की गई कार्यवाही को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक पूर्ण किया जाए और उसके बाद, यदि सार्वजनिक भूमि के किसी भी भाग पर अतिक्रमण पाया जाता है, विधि के अनुसार अतिक्रमण को हटाया जाए।

19 जनवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)